FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बिजौलियां, भीलवाड़ा**

छोगालाल बनाम देवराम

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 211 सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/12/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 15/12/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
15/12/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिन्हें संलग्न पत्रावली किया गया। समस्त विपक्षीगणों को 3-बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ, विपक्षीगणों के विरूद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पालना हेतु तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] **उप खण्ड अधिकारी** **बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा** न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– २११/२०२५ दा. तारीख 5/12/25

छोगालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा हाल मुकाम माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. देराम पुत्र ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. लीला देवी पत्नि हरिशंकर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. सीतादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 15/12/25

प्रार्थना पत्र **छोगालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड निवासी बृजपुरा हाल मुकाम माजी साहब का खेडा तहसील बिंजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 42 पर अंकित आराजी संख्या 295 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें। नियमानुसार

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 42 पर अंकित आराजी संख्या 295 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 211/25

दा. तारीख 4/12/25

नियत :- 15/12/25

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 211 / 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

छोगालाल पुत्र देवीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा हाल मुकाम माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. देराम पुत्र ऊंकार जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राजं.)
02. लीला देवी पत्नि हरिशंकर जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. सीतादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ में खाता संख्या 42 पर अंकित आराजी संख्या 295 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पंत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **कांस्या** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एंव पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ